

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा),

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: र-9ख(49)अ.शा./विधि/2015/ 3842-94

दिनांक : 01-04-2015

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि माननीय न्यायालयों में रिट पिटिशन दायर होने के पश्चात भी जिला/रेंज कार्यालयों द्वारा न तो पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाता है ना ही प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कराई जाती है, जिस कारण न्यायालय में समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए गंभीर टिप्पणियां की जाती हैं। कई मामलों में उच्च अधिकारियों को तलब कर लिया जाता है। अनेक मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा महानिरीक्षक पुलिस रेंज तथा जिला पुलिस अधीक्षक को तलब किया जाने पर भी मामला पुलिस मुख्यालय के ध्यान में नहीं लाया जाता है जो अनुचित है। हाल ही एस.बी.क्रिमिनल मिस पिटिशन नं. 5242/14 पिकी खातून बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 07.01.15 एवं 19.03.15 को महानिरीक्षक पुलिस कोटा को तलब किया किन्तु उनके द्वारा इस कार्यालय को प्रकरण बाबत कोई सूचना नहीं दी गई। इस कारण माननीय न्यायालय में दिनांक 24.03.15 को श्रीमान महानिदेशक पुलिस को उपस्थित होना पडा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि:-

1. माननीय न्यायालयों में विभाग के विरुद्ध दायर होने वाली समस्त रिट पिटिशनों के बारे में रेंज/जिला स्तर पर नोटिस/आदेश प्राप्त होने पर तत्काल प्रभारी अधिकारी प्रस्तावित कर पुलिस मुख्यालय को मय याचिका/आदेश की प्रति सहित सूचित किया जावे ताकि मुख्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर निर्देशित किया जा सके। प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमित रूप से प्रकरण की प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराया जावे।
2. ऐसे महत्वपूर्ण मामले जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा महानिरीक्षक पुलिस रेंज तथा जिला पुलिस अधीक्षक को तलब कर निर्देश दिए गये हों, उनमें तुरन्त प्रभारी अधिकारी तथा माननीय न्यायालय में तलब महानिरीक्षक रेंज या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस मुख्यालय के ध्यान में प्रकरण के समस्त तथ्यों को लाया जावे ताकि माननीय न्यायालयों के निर्देशों की पालना के लिए उचित निर्देश दिये जा सके।
3. ऐसे मामले जिनमें माननीय न्यायालयों द्वारा राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक राजस्थान एवं पुलिस मुख्यालय जयपुर के उच्चाधिकारियों को तलब किया जाता है, जरिये दूरभाष/फैक्स तुरन्त पुलिस मुख्यालय के ध्यान में लाये जायें। प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि वे प्रकरण के दस्तावेजात एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित तुरन्त मुख्यालय जयपुर में उपस्थित हों।

ऐसे मामले जिनमें राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस मुख्यालय जयपुर के उच्चाधिकारियों को माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में पृथक से जांच भी कराई जायेगी जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अनुसंधान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की गलती तो नहीं है। यदि गलती पाई गई तो अनुसंधान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अन्य अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(पंकज कुमार सिंह)

अति. महानिदेशक पुलिस,

अपराध शाखा, राज. जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।